

साहेबगंज समाहरणालय  
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज  
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या—डी०एल०ए० साहेबगंज 12 / 17-18 / 309 / भू०आ०, दिनांक— 21. 05. 2018

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना नमामि गंगे परियोजना अन्तर्गत एन०पी०सी०सी० द्वारा महाजनटोली क्रिमेशन घाट निर्माण हेतू ग्राम—बोल्दाह, थाना—राजमहल, थाना सं०-66, अंचल—राजमहल, जिला—साहेबगंज में कुल-0.07 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू—खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.07 एकड़ यानि .....X..... हेक्टेयर है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	खाता सं०	सर्व भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	प०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	88/27	195/ 397	रैयती	कृषि	0.07	लखीनारायण दास वो धर्मनारायण दास पिता—हराधन दास	महाजनटोली क्रिमेशन घाट			
कुल रकवा—				<b>0.07</b>						

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :—

ग्राम—.....X....., थाना—..... X ....., थाना सं०—..... X ....., अंचल—..... X ....., जिला—.....X.....  
.., क्षेत्रफल—.....X..... एकड़ यानि .....X..... हेठो जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये है :—

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

मृ०  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।

ज्ञापांक ..... 309 ..... / भू0आ0, साहेबगंज, दिनांक ..... 21-05-2018

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन ज्ञारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/05/18  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।